न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 40/2018

अनवान :

1. कृष्ण आयु 15 वर्ष
2. आर्यन आयु 8 वर्ष

} पुत्रान प्रकाश पुत्र जयलाल जाति जाट भाकर नाबालिग जरिए वली कुदरती माता स्वयं शीला पत्नी प्रकाश जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. जयलाल पुत्र कुम्भा जाति जाट भाकर निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) फौत
2. प्रकाश पुत्र जयलाल जाति जाट भाकर निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. गुड्डी पुत्री जयलाल जाति जाट भाकर निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र कुमार गोयल : वादीगण
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : प्रतिवादी सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक : 11-3-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वाद भूमि रोही मौजा किराड़ाछोटा के खाता सं0 30/60 के खसरा सं0 50 की 2.655 है0, खसरा सं0 140 की 8.878 है0, खसरा सं0 164 की 3.161 है0, खसरा सं0 212 की 4.249 है0, कुल 18.943 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। इसी प्रकार रोही किराड़ाछोटा के खाता सं0 31/27 के खसरा सं0 27/318 की 0.860 है0 खसरा सं0 49 की 2.554 है0 कुल 3.414 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयलाल वल्द कुम्भाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादिया व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 [illegible] परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं0 1 जयलाल वादी सं0 1 व 2 के [illegible] सं0 2 प्रकाश वादी सं0 1 व 2 का पिता है व प्रतिवादी संख्या 3 गुड्डी जो प्रति[illegible] सं0 2 की सगी बहन है। वाद भूमि वादीगण के दादा प्रतिवादी सं0 1 जयलाल पुत्र कुम्भा के नाम से खातेदारी [illegible] उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयलाल को अपने पिता कुम्भा से विरासतन [illegible] हुई है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 प्रतिवादी सं0 1 जयलाल के पुत्र–पुत्री है। वाद भूमि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण का उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक व अधिकार निहित है। वाद कृषि भूमि में प्रतिवादीया सं0 3 गुड्डी देवी का भी हिस्सा था। गुड्डी देवी ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा अपने भाई प्रकाश के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद कृषि भूमि में अकेले प्रतिवादी सं0 1 जयलाल की बजाय वादी कृष्ण 2/9 हिस्सा, आर्यन 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 प्रकाश 2/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 जयलाल 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाबदावा पेश कर कथन किया कि वाद कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है। मैंने उक्त दावा में वर्णित कृषि भूमि में बनने वाला अपना हिस्सा मेरे सगे भाई प्रकाश के पक्ष में तर्क कर अपना हक व हिस्सा शुन्य कर लिया है। अब मेरा उक्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। वाद कृषि भूमि में अकेले प्रतिवादी सं0 1 जयलाल की बजाय वादी कृष्ण 2/9 हिस्सा, आर्यन 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 प्रकाश 2/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 जयलाल 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपति या एतराज नहीं है।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि रोही किराड़ा छोटा के खाता सं0 30/60 की कुल 18.943 है0 कुल 18.943 है0 बारानी कृषि भूमि एवं इसी प्रकार रोही किराड़ा छोटा के खाता सं0 31/27 की कुल 3.414 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 जयलाल की बजाय वादी कृष्ण 2/9 हिस्सा, आर्यन 2/9 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 जयलाल 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 प्रकाश 2/9 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है ?

— वादीगण

2. आया कि वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक व अधिकार निहित है ?

— वादीगण

3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादीगण में जरिए वली वादीगण की माता शिला के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम किराड़ा छोटा खाता सं0 30/26 व 31/27 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, छायाप्रति पासबुक ग्राम किराड़ा छोटा प्रदर्श 2ए, चित्रप्रति नजरी नक्शा ग्राम किराड़ा छोटा प्रदर्श 3ए प्रदर्शित करवाये। वारिस प्रमाण पत्र जयलाल, मृत्यु प्रमाण पत्र जयलाल ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:01 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादीगण सुनी गई। ...ने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक व अधिकार निहित है। वाद कृषि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

भूमि में प्रतिवादीया सं0 3 गुड्डी देवी का भी हिस्सा था, गुड्डी देवी ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा अपने भाई प्रकाश के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम किराड़ा छोटा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण अपने दावा में वाद कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि होना व वाद कृषि भूमि में प्रतिवादीया सं0 3 गुड्डी देवी का भी हिस्सा होना, गुड्डी देवी द्वारा अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा अपने भाई प्रकाश के पक्ष में तर्क कर देना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने चित्रप्रति पासबुक ग्राम किराड़ा छोटा प्रदर्श 2ए चित्रप्रति नजरी नक्शा ग्राम किराड़छोटा प्रदर्श 3ए प्रदर्शित करवाये है जिनमें रोही मौजा किराड़ाछोटा के खाता सं0 30/26 की वाद कृषि भूमि वादीगण के दादा कुम्भा वल्द सरदारा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं प्रतिवादीया सं0 3 ने गुड्डी देवी ने इकबालदावा में वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाई प्रतिवादी सं0 2 प्रकाश के पक्ष में तर्क कर देना स्वीकार किया है। चूंकि दौराने दावा प्रतिवादी सं 1 जयलाल फौत हो चुका है। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 का नाम वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर डिलिट करवाया है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराड़ाछोटा के खाता सं0 30/26 के खसरा सं0 50 की 2.655 है0, खसरा सं0 140 की 8.878 है0, खसरा सं0 164 की 3.161 है0, खसरा सं0 212 की 4.249 है0 कुल 18.943 है0 बारानी खातेदारी व इसी प्रकार रोही किराड़ाछोटा के खाता सं0 31/27 के खसरा सं0 27/318 की 0.860 है0 खसरा सं0 49 की 2.554 है0 कुल 3.414 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयलाल वल्द कुम्भाराम के नाम से खातेदारी कृषि भूमि स्थित है में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कमलजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 तीनों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 40/2018

अनवान :

1. कृष्ण आयु 15 वर्ष
2. आर्यन आयु 8 वर्ष

} पुत्रान प्रकाश पुत्र जयलाल जाति जाट भाकर नावालिग जरिए वली कुदरती माता स्वय शीला पत्नी प्रकाश जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. जयलाल पुत्र कुम्भा जाति जाट भाकर निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) फौत
2. प्रकाश पुत्र जयलाल जाति जाट भाकर निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. गुड्डी पुत्री जयलाल जाति जाट भाकर निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र कुमार गोयल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थित में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराड़ाछोटा के खाता सं0 30/26 के खसरा सं0 50 की 2.655 है0, खसरा सं0 140 की 8.878 है0, खसरा सं0 164 की 3.161 है0, खसरा सं0 212 की 4.249 है0, कुल 18.943 है0 बारानी खातेदारी व इसी प्रकार रोही किराड़ाछोटा के खाता सं0 31/27 के खसरा सं0 27/318 की 0.860 है0 खसरा सं0 49 की 2.554 है0 कुल 3.414 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयलाल वल्द कुम्भाराम के नाम से खातेदारी कृषि भूमि स्थित है में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कमलजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 तीनों बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner